



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

दिनांक- 14-07-2026

पत्रांक- 829 /छ:-स्वा0 /2026-27

नाम- श्री संजीव

पुत्र- बाबूराम यादव

मोहल्ला- नक्कन स्कूल ताड़तला जौनपुर।

मोबाईल नम्बर- 8887514854

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-14.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।


(धर्मराज राम)

अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।


(धर्मराज राम)

अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- 830 / छः-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 17.07.2026

नाम- श्री मनोज यादव

पुत्र- श्याम जी यादव

मोहल्ला- हौली ताड़तला जौनपुर।

मोबाईल नम्बर- 9151594109

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-14.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- 831 / छ:-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 14.07.2026

नाम- श्री भईया लाल यादव
पुत्र- स्व0 देवी प्रसाद यादव
मोहल्ला- हुसैनाबाद भदेसर जौनपुर।
मोबाईल नम्बर- 9670856279

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-14.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक— 832/छ:-स्वा0/2026-27

दिनांक— 17-07-2026

नाम— श्री बच्चूलाल यादव
पुत्र— स्व0 देवी प्रसाद यादव
मोहल्ला— हुसैनाबाद भदेसर जौनपुर।
मोबाईल नम्बर— 7379628803

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक—14.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा—265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:—

- 1— अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2— मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3— क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- 833/छ:-स्वा0/2026-27

दिनांक- 14.07.2026

नाम- श्री सुजीत यादव

पुत्र- स्व0 श्याम बहादुर यादव

मोहल्ला- हुसैनाबाद भदेसर जौनपुर।

मोबाईल नम्बर- 8715711938

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-14.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- 834 / छ:-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 17-07-2026

नाम- श्री संजय

पुत्र- स्व0 फूलचन्द्र यादव

मोहल्ला- गायत्री मन्दिर हुसैनाबाद जौनपुर।

मोबाईल नम्बर- 8172810885

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-14.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- 835/छ:-स्वा0/2026-27

दिनांक- 14-07-2026

नाम- श्री हरिनाथ यादव

पुत्र- नन्हकु यादव

मोहल्ला- हुसैनाबाद जौनपुर।

मोबाईल नम्बर- 7238097770

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-14.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)

अधिशाली अधिकारी

नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)

अधिशाली अधिकारी

नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- 836/छ:-स्वा0/2026-27

दिनांक- 17-07-2026

नाम- श्री सुरेन्द्र बहादुर यादव

पुत्र- रामरूप यादव

मोहल्ला- हुसैनाबाद जौनपुर।

मोबाईल नम्बर-

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-14.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)

अधिसासी अधिकारी

नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)

अधिसासी अधिकारी

नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- 837/छ:-स्वा0/2026-27

दिनांक- 17-07-2026

नाम- श्री बिरजू यादव

पुत्र- रामनिरंजन यादव

मोहल्ला- शेखपुर चौरा माता मन्दिर जौनपुर।

मोबाईल नम्बर- 9161808485

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-14.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैंडलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)

अधिसासी अधिकारी

नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)

अधिसासी अधिकारी

नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक— 838 / छः—स्वा0 / 2026—27

दिनांक— 17.07.2026

नाम— श्री गुप्पू पाल

पुत्र— रामसुन्दर

मोहल्ला— अम्बेडकर पार्क हुसैनाबाद जौनपुर।

मोबाईल नम्बर— 9696281656

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक—14.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा—265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:—

- 1— अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2— मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3— क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- 834 / छ:-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 14-07-2026

नाम- श्री अमरदेव यादव

पुत्र- सितई यादव

मोहल्ला- रसूलाबाद जौनपुर।

मोबाईल नम्बर-

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-14.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैंडलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)

अधिशायी अधिकारी

नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)

अधिशायी अधिकारी

नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- 840 / छ:-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 17-07-2026

नाम- श्री अशोक

पुत्र- मोतीलाल

मोहल्ला- जीतापट्टी जौनपुर।

मोबाईल नम्बर- 9250443226

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-14.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- 841 / छ:-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 14.07.2026

नाम- श्री अखिलेश यादव
पुत्र- जवाहिर यादव
मोहल्ला- ईशापुर जौनपुर।
मोबाईल नम्बर- 7651812531

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-14.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।


(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।


(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- 842 /छ:-स्वा0/2026-27

दिनांक- 14-07-2026

नाम- श्री तेजबहादुर मौर्या
पुत्र- रामस्वार्थ मौर्या
मोहल्ला- बोदकरपुर ईशापुर जौनपुर।
मोबाईल नम्बर-

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-14.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।


(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

/

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।